



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243654
CG-DL-E-16022023-243654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 671]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 701(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में भारत में पंजीकृत नियो-निकोटिनोइड कीटनाशकों के सतत उपयोग अथवा अन्यथा की जांच करने के लिए दिनांक 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। को इस समिति के अधिदेश उन छियासठ कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2013 को आगे विस्तारित कर दिया था जो अन्य देशों में निषिद्ध अथवा सीमित अथवा अपवर्जित कर दिए गए हैं तथापि भारत में घरेलू उपयोग के लिए उनके पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। समिति ने विस्तृत जांच के बाद दिनांक 9 दिसंबर, 2015 को केंद्र सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; जिसे पंजीकरण समिति को भेज दिया गया था। पंजीकरण समिति ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

और जबकि, विभाग ने पंजीकरण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुमोदन की सूचना देते हुए दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 को आदेश जारी किया था;

और जबकि, उक्त विशेषज्ञ समिति ने इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सत्ताईस कीटनाशकों के उपयोग को जारी रखने की सिफारिश की थी और संस्तुत अध्ययन पूरा होने के बाद उसकी समीक्षा की जानी थी तब ऐसी स्थिति में पंजीकरण समिति द्वारा विचार किया गया और सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की गईं ;

और जबकि, केंद्र सरकार ने पंजीकरण समिति से परामर्श करने और संस्तुत अध्ययन, डेटा और सुरक्षामदो को प्रस्तुत करने की स्थिति से संबंधित में अपनी रिपोर्ट पर विधिवत विचार करने के बाद इस आशय के साथ संतोष व्यक्त

किया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सत्ताईस कीटनाशकों के उपयोग से मानवों और पशुओं में जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने हेतु अपेक्षित अथवा आवश्यक कार्यवाही की जाए;

और जबकि, केंद्र सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ 1512(अ) के माध्यम से कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश, 2020 का मसौदा आदेश प्रकाशित किया और उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, जिस पर आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी ;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता दिनांक 18 मई, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों को इस प्रयोजन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति को संदर्भित किया गया था जिस पर उक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया था;

और जबकि, केंद्र सरकार ने, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के तहत गठित पंजीकरण समिति के साथ परामर्श के बाद संतोष व्यक्त किया कि सुरक्षा और प्रभावकारिता पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण तीन कीटनाशकों के उपयोग में मानवों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा और जोखिम शामिल है;

और जबकि, कीटनाशक निषिद्ध आदेश, 2020 के लिए उक्त मसौदा आदेश दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1512(अ) द्वारा प्रकाशित, को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान ने मामले में अगले आदेश तक कीटनाशकों के निषेध से संबंधित अंतरिम आदेश दिनांक 21.07.2020 द्वारा उक्त नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।

और जबकि, तदुपरांत, राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने नारायण सिंह राठौर द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 7474/2020 के मामले में दिनांक 18.01.2023 के एक आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किया है कि दिनांक 21.07.2020 का अंतरिम आदेश निष्प्रभाव किया जाता है।

अब, इसलिए, वह मसौदा आदेश जिसे केंद्र सरकार कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 36 की उपधारा (1) और धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा-II द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, का प्रयोग करते हुए संभावित रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ इसे एतद्वारा प्रकाशित करने के साथ-साथ तदनुसूच इस आशय का नोटिस दिया जाता है कि इस तारीख से जिस पर इस आदेश में निहित भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, 30 दिनों की अवधि के समापन के बाद उक्त मसौदा आदेश पर विचार किया जाएगा।

30 दिनों की उपरोक्त अवधि के समापन से पहले उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति अथवा सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा आदेश के संबंध में किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव को संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली-110001 को या jspp-dac@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित किया जा सकता है।

ड्राफ्ट आदेश

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को कीटनाशक (निषेध) आदेश, 2023 कहा जा सकता है;

(2) यह राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कतिपय कीटनाशकों पर निषेध-

क. कोई भी व्यक्ति अनुसूची में दिए गए कीटनाशकों का आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग नहीं करेगा।

ख. पंजीकरण समिति उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीटनाशकों के लिए प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस ले लेगी।

- ग. यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पंजीकरण प्रमाणन है, वह पंजीकरण समिति को प्रमाणपत्र वापिस करने में असमर्थ रहता है तो तीन माह की अवधि के भीतर खंड (2) में दिए गए विवरण के अनुसार उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- घ. उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदत्त अनुसूची में किए गए विनिर्देश के अनुसार कीटनाशकों से संबंधित पंजीकरण का प्रमाणपत्र को इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से निरस्त माना जाएगा।
- ङ. ड. राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उससे संबंधित नियमावली के उपबंधों के तहत ऐसे कदम उठाएगी, जो संबंधित राज्यों द्वारा इस आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

अनुसूची

[पैराग्राफ 2 देखें]

प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	केंद्र सरकार का निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	डिकोफोल	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पंजीकरण, आयात, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, बिक्री प्रतिबंधित है और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2.	डिनोकैप	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पंजीकरण, आयात, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, बिक्री प्रतिबंधित है और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
3.	मेथोमिल	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पंजीकरण, आयात, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, बिक्री प्रतिबंधित है और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

3. इसके आगे, केंद्र सरकार ने, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित निम्नलिखित कीटनाशकों के लेबल और पत्रक से नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित फसलों को हटाने का निर्णय लिया है, नामतः:

(क) प्रत्येक कीटनाशी के सामने उल्लिखित फसलों के लिए निम्नलिखित कीटनाशकों के लेबल दावे को इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी जैव-प्रभावकारिता और अवशिष्ट डेटा की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित उपयोग से हटा दिया जाएगा:

तालिका

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	अनुमोदित उपयोग से हटाई जाने वाली फसलों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	काबोफ्यूरान	क्रॉप लेबल के साथ काबोफ्यूरान के तीन प्रतिशत एनकैप्सुलेटेड ग्रेन्युल (सीजी) को छोड़कर काबोफ्यूरान के अन्य सभी फॉर्मूलेशन का उपयोग रोका जा सकता है।
2	मालाथयॉन	ज्वार, मटर, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, मूली, शलजम, टमाटर, सेब, आम और अंगूर।
3	मोनोक्रोटोफोस	मोनोक्रोटोफॉस पंद्रह प्रतिशत पानी में घुलनशील ग्रेन्युल (एसजी) को छोड़कर इस कीटनाशक के अन्य सभी फॉर्मूलेशन को संबंधित लेबल फसलों में उपयोग से रोका जा सकता है।

4	क्यूनलफोस	जूट, इलायची और ज्वार.
5	मैनकोजेब	अमरूद, ज्वार और टैपिओका।
6	अक्सीफ्लोरफे न	आलू और मूंगफली.
7	डिमेथोट	कच्चे खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाने वाले फलों और सब्जियों को हटाने का लेबल ।
8	क्लोरप्युरिफोस	बेर, साइट्रस और तंबाकू.

(ख) उपरोक्त उल्लिखित कीटनाशकों के संबंध में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी पंजीयक इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर, जिसके विफल होने पर कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 14 के तहत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, सचिव, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, एनएच-IV फरीदाबाद, को उपर्युक्त फसलों पर लेबल दावों को हटाने के लिए लेबल और पत्रक के साथ अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ग) पंजीकरण के प्रमाण पत्र में गैर-पृष्ठांकन या सुधार को इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में पंजीकरण के ऐसे प्रमाणपत्रों पर संचालन की अनुमति या अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

(घ) नियत तारीख तक पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसे रद्द कर दिया गया माना जाएगा।

(ङ) राज्य सरकार अपने संबंधित राज्यों में इस तरह के कदम उठाएंगी जो इस आदेश के प्रावधानों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

[फा. सं. 13035-15/2019-पीपी-I (वॉल्यूम i)]

आशीष कुमार श्रीवास्तव संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 701(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation constituted an Expert Committee on 8th July, 2013 to examine the continued use or otherwise of neo-nicotinoid insecticides registered in India. The mandate of the Committee was further expanded on 19th August, 2013, to review sixty-six insecticides which were banned or restricted or withdrawn in other countries but continue to be registered for domestic use in India. The Committee after detailed examination submitted its report to the Central Government on the 9th December, 2015; which was referred to the Registration Committee. The Registration Committee submitted their recommendations to the Central Government;

And whereas, the Department issued order dated 14th October 2016, conveying the approval for implementation of the recommendations of the Registration Committee;

And whereas, the said Expert Committee had recommended continuing the use of the twenty seven insecticides as specified in the schedule to this notification and the same to be reviewed after completion of the recommended studies, this was considered by Registration Committee and submitted recommendations to the Government;

And whereas, the Central Government, after consultation with the Registration Committee and duly considering their report with regard to status of submission of recommended studies, data and safety concerns, was satisfied that the use of twenty seven insecticides as specified in the schedule to this Notification are likely to involve risk to human beings and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published a draft Order for Banning of Insecticides *vide* notification number S.O. 1512(E), dated 18th May, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii)

and invited objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th May, 2020;

And whereas, the objections or suggestions received in respect of the said draft order were referred to an Expert Committee constituted for the purpose which were duly considered by the said Expert Committee;

And whereas, the Central Government, after considering the report of the Expert Committee and after consultation with the Registration Committee, set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is satisfied that the use of three insecticides involves health hazards and risk to human beings and animals due to non-availability of data on safety and efficacy;

And whereas, the said draft order for Banning of Insecticides Order, 2020 published vide notification number S.O. 1512(E), dated 18th May, 2020, was challenged in various High Courts of the country. The Hon'ble High court of Rajasthan had stayed the implementation of the said rules vide interim order dated 21.07.2020 relating to Prohibition of Insecticides till further order in the case.

And whereas, thereafter, Hon'ble High Court of Rajasthan, has issued direction through an order dated 18.01.2023 in the matter of S.B. Civil Writ Petition No. 7474/2020 filed by Narayan Singh Rathore, that the interim order dated 21.07.2020 is vacated.

Now therefore, the draft order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this order are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government.

Any objection or suggestion in respect of the said draft order may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

DRAFT ORDER

1. **Short title and commencement.** - (1) This order may be called the Insecticides (Prohibition) Order, 2023;
(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
2. Prohibition of Certain Insecticides-
 - A. No person shall import, manufacture, sell, transport, distribute and use insecticides as provided in the Schedule.
 - B. The Registration Committee shall call back the certificate of registration granted for the insecticides as provided in the said Schedule.
 - C. If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (2), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.
 - D. The certificate of registration for the insecticides as provided in the Schedule granted under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled from the date of publication of this order.
 - E. The State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order by the respective states.

The Schedule

[See paragraph 2]

List of Prohibited Insecticides

S. No.	Name of Insecticide	Decision of Central Government
(1)	(2)	(3)
1.	Dicofol	The registration, import, manufacture, formulation, transport, sale is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this order.
2.	Dinocap	The registration, import, manufacture, formulation, transport, sale is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this order.

3.	Methomyl	The registration, import, manufacture, formulation, transport, sale is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this order.
----	----------	--

3. Further, the Central Government, on recommendations of the Expert Committee, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 27 of the Act, has decided for omitting crops as mentioned in column (3) of the table below from the label and leaflets of the following insecticides mentioned in column (2) of the table below, namely:

(A) Label claim of the following insecticides for the crops mentioned against each insecticide shall be omitted from the approved use due to non-availability of bio-efficacy and residue data with effect from the date of publication of this order:

TABLE

S. No.	Name of Insecticide	Names of crops to be omitted from approved usage
(1)	(2)	(3)
1	Carbofuran	All other formulations of Carbofuran except Carbofuran three percent Encapsulated granule (CG) along with the crop labels may be stopped from use.
2	Malathion	Sorghum, Pea, Soybean, Castor, Sunflower, Bhindi, Brinjal, Cauliflower, Radish, Turnip, Tomato, Apple, Mango and Grape.
3	Monocrotophos	All other formulations of this pesticide except Monocrotophos fifteen percent Water soluble granules (SG) may be stopped from use in respective label crops.
4	Quinalphos	Jute, Cardamom and Sorghum.
5	Mancozeb	Guava, Jowar and Tapioca.
6	Oxyfluorfen	Potato and Groundnut.
7	Dimethoate	Label deletion of fruits and vegetables that are consumed as raw food items.
8	Chlorpyrifos	Ber, Citrus and Tobacco.

(B) All registrants granted certificate of registration in respect of the above mentioned insecticides shall submit their certificate along with label and leaflet for deletion of label claims on the above mentioned crops to the Secretary, Central Insecticides Board and registration Committee, NH-IV, Faridabad, within six months from date of publication of this Order, failing which action to revoke licenses under section 14 of the Insecticides Act, 1968 shall be initiated.

(C) Non-endorsement or correction in the certificate of registration will not be taken as permission or approval to operate upon such certificates of registration in contravention of the provisions of this Order.

(D) Certificate of registration not submitted by the due date shall be deemed to have been cancelled.

(E) The State Government shall take such steps in their respective States as they may deem fit for carrying out the provisions of this order.

[F. No. 13035-15/2019-PP-I (vol i)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)